न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **54/2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री मुकेश पिता गोपाल लाल बलाई नि0 धानेश्वर रोड़ फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां

——अपीलार्थी ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 24/07/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां के विरूद्ध दिनांक 31.05.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 28.04.2017 को एक आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 28/04/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 14/06/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/सू0अ0/2017/230 दिनांक 23.06.2017 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाते हुए अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के समक्ष जरिये डाक आवेदन दिनांक 01.05.2017 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी बीपीएल होने से सूचना निःशूल्क चाही गई। जिसमें चाही गई सूचना उनके

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पत्रांक / सू0अ0 / 2017 / 211 दिनांक 30.05.2017 से दिनांक 01.06.2017 को उपलब्ध करा दी गई जिसकी पावती रसीद संलग्न कर प्रेषित की है।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला के पत्र द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित सूचना अपीलान्ट को निःशुल्क अपने पत्रांक / सू0अ0 / 2017 / 211 दिनांक 30.05.2017 से उपलब्ध कराई । सूचना अपीलान्ट को दिनांक 01.06.2017 को हमदस्त उपलब्ध कराई गई जिसकी पावती रसीद पत्र के साथ संलग्न है। अपीलान्ट का कथन है कि सूचना अपूर्ण है परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस सम्बन्ध में सूचना चाही तथा उससे सम्बन्धित जो भी पत्रादि कार्यालय में उपलब्ध थे वे उसे सूचना के माध्यम से उपलब्ध करा दिए गए हैं। सूचना गलत होना या सही होने के सम्बन्ध में इस अपील के माध्यम से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह सही है कि अपीलान्ट को वांछित सूचना विलम्ब से उपलब्ध कराई गई परन्तु निःशुल्क उपलब्ध करादी जाने से अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में अपील में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 24 / 07 / 2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा